



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक: 15.10.2026

थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

□ टीकापुर तिराहे पर सड़क जाम कर पुलिस से धक्का-मुक्की एवं गाली-गलौज करने तथा यातायात बाधित करने के मामले में 08 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

□ सड़क जाम कर एम्बुलेंस एवं आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई।

□ आजमगढ़ पुलिस की आमजन से अपील—विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम कर आमजन एवं एम्बुलेंस का आवागमन बाधित न करें तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक 14.10.2026 को लगभग 11:00 बजे टीकापुर तिराहे पर सड़क दुर्घटना के संबंध में कुछ व्यक्तियों द्वारा घायल व्यक्ति के परिजनों को उकसाकर दुर्घटना के जिम्मेदार व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया तथा शासन-प्रशासन एवं पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी की गई। इससे आमजन, राहगीरों, स्कूल के बच्चों एवं मोटर वाहनों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई तथा एम्बुलेंसों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की एवं गाली-गलौज की गई तथा लाठी-डंडों से लैस होकर सड़क अवरुद्ध की गई। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवागमन पूर्णतः बाधित हो गया। जाम के कारण मरीजों एवं अन्य राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा तथा क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया।

उक्त घटना के संबंध में दिनांक 14.10.2026 को उ0नि0 लोकेश मणि त्रिपाठी की तहरीर के आधार पर थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0 156/2026, धारा 189(2), 190, 191(2), 126(2), 121(1), 125, 109(1), 221 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 7 सीएलए एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के मार्गदर्शन तथा थानाध्यक्ष तहबरपुर आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 15.10.2026 को थाना तहबरपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 08 अभियुक्तों को उनके घरों पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को समय लगभग 06:00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया तथा अभियुक्तों के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शिवनाथ गुप्ता पुत्र श्याम प्रसाद गुप्ता, निवासी ग्राम मेढ़ी, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 23 वर्ष।
2. राधेश्याम गुप्ता पुत्र फैसल गुप्ता, निवासी ग्राम मेढ़ी, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 33 वर्ष।
3. मो0 अजमल पुत्र मो0 अफजल, निवासी ग्राम मेढ़ी, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 44 वर्ष।
4. मनीष यादव पुत्र हरिराम यादव, निवासी ग्राम चिरावल, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 24 वर्ष।

5. मंगेश यादव पुत्र मनोज यादव, निवासी ग्राम चिरावल, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 22 वर्ष।
6. त्रिभुवन यादव पुत्र स्व० रामसमुझ यादव, निवासी ग्राम फत्तनपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र 30 वर्ष।
7. लोकेश यादव पुत्र रामनाथ यादव, निवासी ग्राम ददरा, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 31 वर्ष।
8. राधेश्याम प्रजापति पुत्र रामचन्द्र प्रजापति, निवासी ग्राम सरदहां, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 33 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 156/2026, धारा 189(2)/190/191(2)/126(2)/121(1)/125/109(1)/221 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 7 सीएलए एक्ट, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. लोकेश यादव पुत्र रामनाथ यादव, निवासी ग्राम ददरा, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु०अ०सं० 129/2022, धारा 308/323/325/504/506 भादवि, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

पुलिस अपील-

सड़क का उपयोग हम सभी आवागमन के लिए करते हैं। सड़क जाम करने से आमजन को असुविधा होती है तथा एम्बुलेंस के जाम में फंसने से मरीजों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। अतः आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी घटना के विरोध में सड़क जाम कर आमजन, मरीजों एवं एम्बुलेंस के आवागमन को बाधित न करें तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी समस्या अथवा शिकायत के समाधान हेतु कानून का पालन करते हुए निर्धारित वैधानिक माध्यमों का सहारा लें।

☐ दो महत्वपूर्ण घटनाओं के सफल अनावरण एवं 17 वर्षों से फरार ₹25,000/- के इनामी वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मानित।

☐ पौहारी बाबा मंदिर से चोरी किए गए 20 पीतल के घंटे, ₹1,00,000/- नकद एवं घटना में प्रयुक्त दो चार पहिया वाहन बरामद।

☐ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार ने पुलिस कार्यालय में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुलिस टीम का बढ़ाया उत्साह।

घटना का विवरण—

घटना प्रथम: दिनांक 29.09.2026 की रात्रि थाना मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत पौहारी बाबा मंदिर से अज्ञात चोरों द्वारा 11 पीतल के घंटे चोरी कर लिए गए थे। इसके बाद दिनांक 01.10.2026 की रात्रि पुनः उसी मंदिर से 09 पीतल के घंटे चोरी किए गए। इस प्रकार दोनों घटनाओं में मंदिर से कुल 20 पीतल के घंटे चोरी हुए थे। घटनाओं के संबंध में थाना मेहनगर पर मु०अ०सं० 340/2026 धारा 305(डी) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्तों द्वारा चोरी किए गए घंटों को बेचने की योजना तथा चोरी का माल खरीदने वाले व्यक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। पूछताछ में दिनांक 07.08.2026 को थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत एक मंदिर से 04 पीतल के घंटे चोरी किए जाने की घटना भी प्रकाश में आई, जिसके संबंध में थाना सैदपुर पर मु०अ०सं० 281/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत होना सत्यापित हुआ।

घटना द्वितीय: थाना तरवां पर वर्ष 2009 में वादी द्वारा अपनी पुत्री को मोनू मिश्रा उर्फ बृजेश मिश्रा द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में दिनांक 16.03.2009 को प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर मु०अ०सं० 160/2009 धारा 363, 366 भादवि पंजीकृत किया गया। इसके बाद दिनांक 30.03.2009 को वादी की दूसरी पुत्री को भी भगाकर ले जाने के संबंध में मु०अ०सं० 216/2009 धारा 363, 366, 120बी, 376 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसमें अभियुक्त मोनू मिश्रा उर्फ बृजेश मिश्रा पुत्र स्व० श्याम नारायण मिश्रा उर्फ सामू मिश्रा, निवासी ग्राम तरवां सैरैया, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 225/2010 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त वर्ष 2010 से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 27.11.2022 को ₹25,000/- का इनाम घोषित किया गया था।

पुलिस की कार्रवाई एवं बरामदगी—

घटना प्रथम: दिनांक 03/04.10.2026 की रात्रि को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेहनगर व थाना तरवां पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग तथा पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि दो चार पहिया वाहनों में चोरी के पीतल के घंटे रखकर कुछ व्यक्ति विशुनपुरा मोड़, खरिहानी-चिरैयाकोट मार्ग के पास एक वाहन से दूसरे वाहन में चोरी का माल स्थानांतरित कर रहे हैं। सूचना पर थाना मेहनगर प्रभारी अभिराज कुमार मय टीम, चौकी प्रभारी सिंहपुर उ0नि0 अक्षय प्रताप सिंह तथा थाना तरवां के चौकी प्रभारी रासेपुर उ0नि0 रूपेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम मौके पर पहुंचे और दोनों वाहनों की घेराबंदी की। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया, जिन्हें आवश्यक घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे एवं निशानदेही पर चोरी के 20 पीतल के घंटे, चोरी के माल की बिक्री से प्राप्त ₹1,00,000/- नकद तथा घटना में प्रयुक्त दो चार पहिया वाहन बरामद किए गए।

घटना द्वितीय: दिनांक 23.09.2026 को थानाध्यक्ष तरवां मय पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान सूचना के आधार पर मोनू मिश्रा उर्फ बृजेश मिश्रा पुत्र स्व0 श्याम नारायण मिश्रा उर्फ सामू मिश्रा, निवासी ग्राम तरवां सैरैया, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ को समय करीब 05:00 बजे नवरसिया पुलिया के पास, ग्राम डुभाव से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से .315 बोर का देशी तमंचा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया।

सम्मानित किए गए अधिकारी एवं कर्मचारी—

दोनों घटनाओं के सफल अनावरण तथा वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारियों को आज दिनांक 15.10.2026 को पुलिस कार्यालय, आजमगढ़ में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

1. उ0नि0 राजीव कुमार सिंह, थाना प्रभारी तरवां
2. वरिष्ठ उ0नि0 कृष्णा मिश्रा
3. उ0नि0 अक्षय प्रताप सिंह
4. उ0नि0 सूरज तिवारी
5. उ0नि0 अतुल मिश्रा
6. आरक्षी विपिन यादव
7. आरक्षी रतनेश
8. आरक्षी आशुतोष
9. आरक्षी शहबाज
10. आरक्षी कमलेश कुमार यादव

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ0 अनिल कुमार द्वारा पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के कार्य की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया तथा उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक: 15.10.2026

जनपद आजमगढ़

□ थाना मेंहनगर एवं अहरौला पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार; मेंहनगर पुलिस ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को पकड़ा।

□ थाना अहरौला पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस एवं ₹200 बरामद किए; अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 03 आपराधिक मुकदमे दर्ज।

□ थाना रानी की सराय पुलिस ने मुकदमे से संबंधित पीड़िता को सकुशल बरामद किया; साथ मौजूद युवक पुलिस को देखकर भीड़ का लाभ उठाकर फरार।

□ थाना रौनापार साइबर टीम की प्रभावी कार्रवाई से साइबर फ्रॉड के पीड़ित को ₹7,000 की धनराशि वापस कराई गई।

1. थाना मेंहनगर: शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 14.10.2026 को थाना मेंहनगर पर एक वादिनी द्वारा तहरीर दी गई कि करीब एक वर्ष पूर्व उसका संपर्क शाहिद पुत्र इंद्रीश, निवासी ग्राम इस्माइलपुर भरथीपुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ से हुआ था। आरोप है कि अभियुक्त द्वारा शादी का आश्वासन देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए गए तथा शादी की बात कहने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0 348/2026 धारा 69/352/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 15.10.2026 को थाना मेंहनगर के उ0नि0 इन्द्रजीत पटेल मय हमराह का0 विकास पटेल द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त शाहिद पुत्र इंद्रीश, उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी इस्माइलपुर भरथीपुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ को जिगनी, थाना मेंहनगर क्षेत्र से समय करीब 12:05 बजे गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त द्वारा आरोपों से इनकार किया जा रहा है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2. थाना अहरौला: अवैध तमंचा एवं कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण- दिनांक 15.10.2026 को रात्रि करीब 01:20 बजे थाना अहरौला पुलिस टीम शांति व्यवस्था एवं नवरात्रि ड्यूटी के दौरान क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बरामदपुर पुलिस के पास एक व्यक्ति अवैध तमंचा एवं कारतूस लेकर खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

पूछताछ में उसने अपना नाम बबलू पुत्र हीरालाल, निवासी ग्राम पारा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर तथा ₹200 बरामद हुए। अवैध असलहे के संबंध में वैध अधिकार पत्र प्रस्तुत न कर पाने पर अभियुक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 15.10.2026, समय करीब 01:20 बजे रात्रि, स्थान बरामदपुर पुलिस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 098/2021, धारा 323/354(ख)/452/504 भादवि, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 173/2025, धारा 115(2)/333/351(3)/74 बीएनएस, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 0345/2025, धारा 125(a)/125(b)/281 बीएनएस, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

3. थाना रानी की सराय: मुकदमे से संबंधित पीड़िता बरामद

घटना का विवरण- थाना रानी की सराय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 225/2026, धारा 87/137(2) बीएनएस से संबंधित पीड़िता शबनम कुमारी की तलाश की जा रही थी। दिनांक 14.10.2026 को उ0नि0 प्रिंस विनायक सिंह मय महिला कांस्टेबल आरती कुशवाहा क्षेत्र में तलाश-पतारसी कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि पीड़िता एक युवक के साथ नरौली चौराहे के पास वाहन का इंतजार कर रही है।

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां एक महिला एवं पुरुष खड़े दिखाई दिए। पुलिस को अपनी ओर आता देख युवक भीड़ का लाभ उठाकर फरार हो गया। पुलिस टीम ने महिला से पूछताछ कर उसकी पहचान शबनम कुमारी पुत्री सुरेश राम, निवासी ग्राम सम्मोपुर खालसा, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष के रूप में की।

पीड़िता को नियमानुसार महिला कांस्टेबल की निगरानी में लेकर अग्रिम विधिक एवं विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। फरार युवक की तलाश की जा रही है।

4. थाना रौनापार: साइबर फ्रॉड के पीड़ित को ₹7,000 वापस कराए गए

घटना का विवरण- आवेदक नरेंद्र यादव पुत्र वीरेंद्र यादव, निवासी ग्राम चक्की हाजीपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 06.01.2026 को ₹7,000 की साइबर धोखाधड़ी हुई थी। इस संबंध में आवेदक द्वारा दिनांक 06.01.2026 को साइबर शिकायत संख्या 33101260004455 दर्ज कराई गई थी।

पुलिस की कार्रवाई- शिकायत प्राप्त होने के उपरांत थाना रौनापार की साइबर टीम द्वारा संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर धोखाधड़ी की गई धनराशि को संबंधित खाते में होल्ड कराया गया। इसके बाद एमआरएम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 12.10.2026 को ₹7,000 की पूरी धनराशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराई गई।

आजमगढ़ पुलिस की अपील- किसी भी प्रकार की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी या पासवर्ड साझा न करें।

आजमगढ़ पुलिस — आपकी सुरक्षा, हमारा संकल्प।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

- ☐ थाना सिधारी पुलिस की तत्परता से गुमशुदा 02 किशोर 24 घंटे के अंदर गोरखपुर रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद।
- ☐ किशोरों की सकुशल बरामदगी पर परिजनों ने आजमगढ़ पुलिस का हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया।

घटना का विवरण:- दिनांक 14.10.2026 को वादी संजय कुमार पुत्र दुवर राम, निवासी ग्राम मुहम्मदल्ला, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनका लगभग 12 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार दिनांक 14.10.2026 को घर से नौरंग इंटर कॉलेज, निबी में पढ़ने के लिए गया था, लेकिन विद्यालय नहीं पहुंचा। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 421/2026 धारा 137(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस की कार्रवाई:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी के नेतृत्व में गुमशुदा किशोरों की तलाश हेतु पुलिस टीम गठित कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

इसी क्रम में दिनांक 15.10.2026 को उ0नि0 शिवम द्विवेदी मय हमराह पुलिस टीम द्वारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन से दोनों किशोरों को सकुशल बरामद कर लिया गया। इस प्रकार थाना सिधारी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी के 24 घंटे के अंदर दोनों किशोरों की सकुशल बरामदगी की गई। किशोरों के परिजनों को सूचना देते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद किशोरों का विवरण:-

1. आर्यन कुमार पुत्र संजय कुमार, निवासी ग्राम मुहम्मदल्ला, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 12 वर्ष।
2. आकाश राजभर पुत्र उमेश राजभर, निवासी ग्राम निबी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 14 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 421/2026, धारा 137(2) बीएनएस, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 शिवम द्विवेदी
2. का0 अखिलेश कुमार गौड़
3. रि0का0 इरफान खान, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

परिजनों द्वारा आभार व्यक्त:- दोनों किशोरों की सकुशल बरामदगी से परिजनों ने राहत की सांस ली तथा आजमगढ़ पुलिस की तत्परता एवं त्वरित कार्रवाई के लिए हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया।

आजमगढ़ पुलिस जनपद में गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश एवं उनकी सकुशल बरामदगी हेतु सदैव प्रतिबद्ध है।